न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 166/2016

1 कमालुदीन पुत्र नजीर जाति चौपदार मुसलमान निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी प्रकरण कमालुदीन बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी आदि मुकदमा नम्बर 467/2015 दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री फूलचन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.04.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 467/2015 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट की और से ग्राम गुढ़ा गौड़जी की भूमि खसरा नम्बर 1789/4 किस्म बंजड बाबत कब्जे के आधार पर घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, पत्रावली में पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना केवल मात्र वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज होने के आधार पर वाद वादी खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार कर प्रकरण साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त गुणवगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की खातेदारी वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वन विभाग की भूमि की खातेदारी की उदघोषणा विधि द्वारा वर्जित है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कर वादी का वाद विधि सम्मत रूप से खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की खातेदारी वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वन विभाग की भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा विधि द्वारा वर्जित है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कर वादी का वाद विधि सम्मत रूप से खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर